न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान धर्मपाल बनाम राजस्थान सरकार
दावा–पत्र संख्या – 153 / 2024
निर्णय दिनांक 09/07/2025

धर्मपाल पुत्र मोहनदास जाति धाणक निवासी थैलाणा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा थैलाणा पटवार हल्का पूनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 140 खसरा सं. 19 तादादी 14.4027 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 82 / 1139 का सहखातेदार व काश्तकार के रूप में दर्ज है। वादी का कथन है कि राजस्व विरास्तन इंतकाल के समय वादी का नाम विरास्तन इंतकाल में धर्मदास दर्ज कर दिया गया। उक्त खसराजात की जमाबंदी में संवत 2073 से 2076 में वादी का नाम धर्मदास पुकारे जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में भी चालू नाम धर्मदास दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तव में वादी का सही नाम धर्मपाल ही है। वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, बिजली बिल व पहचान पत्र में वादी का नाम धर्मपाल ही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में धर्मदास नाम होने के कारण इस कृषिभुमि में दर्ज नाम व अन्य दस्तावेजात में नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को काफी कठिनाईयां होती है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में अपना नाम धर्मदास के स्थान पर धर्मपाल दुरूस्त करवाना चाहते है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा थैलाणा पटवार हल्का पूनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 140 खसरा सं. 19 तादादी 14.4027 हैक्ट. में वादी का नाम धर्मपाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम धर्मपाल पुत्र मोहनदास व धर्मदास पुत्र मोहनदास दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, बिजली बिल व पहचान पत्र में वादी का नाम धर्मपाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धर्मदास अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा थैलाणा पटवार हल्का पूनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 140 खसरा सं. 19 तादादी 14.4027 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **धर्मदास Delete** कर इसके स्थान पर **धर्मपाल** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)